



E-ISSN: 2664-603X

P-ISSN: 2664-6021

IJPSG 2020; 2(2): 20-21

Received: 04-06-2020

Accepted: 07-08-2020

राजन राम

शोधार्थी एवं सहायक प्राध्यापक,

राजनीति विज्ञान, चास

महाविद्यालय, चास बोकारो,

झारखंड, भारत।

डॉ अम्बेडकर का संवैधानिक दर्शन

राजन राम

प्रस्तावना

आधुनिक भारत के विचारकों के नक्षत्र मंडल में डॉ0 भीमराव अम्बेडकर (1891-1956) कई कारणों से अलग पायदान पर स्थित हैं। सर्वप्रथम बहुत ईमानदारी से, उनका व्यक्तित्व एक अस्पृश्य की एक बहुत बड़ी सामाजिक बुराई के साथ अदम्य साहस तथा हार न मानने के दृष्टिकोण से संघर्ष की तथा 'प्रख्यात संविधानविद, प्रसिद्ध सांसद, न्यायविद् तथा सर्वोपरि वंचित वर्ग के नेता बनने की विशिष्ट गाथा है, वह भी उस समय जब एक अस्पृश्य के लिए समाज के उच्च वर्ग के ऐसे लोगों के प्रति आक्रामक तथा हीन दृष्टिकोण होने के कारण, सम्भवतः सामान्य गरिमामय जीवन जीना असम्भव नहीं तो अत्यन्त कठिन अवश्य था।

अम्बेडकर का जीवन एक सतत् संघर्ष प्रतीत होता है जिसमें पुस्तक लिखने, लम्बे लेख लिखने या स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रूपरेखा तैयार करने जैसे रचनात्मक अंतराल हैं। डॉ0 अम्बेडकर का संवैधानिक दर्शन संवैधानिक साधनों से सामाजिक न्याय और परिवर्तन के चारों ओर घूमता है। संविधान के माध्यम से वे एक समता मूलक समाज की स्थापना करना चाहते थे। उनके सपनों का भारत में सरकार से उनकी मांग की रणनीति दलितों के लिए संवैधानिक अधिकारों और यहां तक कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र की थी, किन्तु स्वतंत्रता के पश्चात उनका दृष्टिकोण अधिक व्यापक हो गया जिसमें राष्ट्रवाद लोकतंत्र, मानवता और न्याय सम्मिलित हो गये।

अस्पृश्यता और भेदभाव हटाने और सामाजिक न्याय के लिए भारतीय संविधान के अन्तर्गत मौलिक अधिकारों का अध्याय एक व्यापक व्यवस्था करता है। भारतीय संविधान में डॉ0 अम्बेडकर के योगदान को निम्नलिखित बिन्दुओं के रूप में इस प्रकार समझा जा सकता है :-

- अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण की गारन्टी देता है।
- इसी प्रकार अनुच्छेद 15 धर्म मूलवंश, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव का निषेध करता है।
- अनुच्छेद 16 सार्वजनिक सेवाओं के सम्बन्ध में अवसरों की समानता का प्रावधान करता है।
- अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के उन्मूलन का प्रावधान करता है तथा अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम को रोकने का प्रावधान करता है।
- मौलिक अधिकारों की भांति नीति-निर्देशक तत्व भी आर्थिक और सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण है जिसका वर्णन अनुच्छेद 37 से 51 तक किया गया है।
- अनुच्छेद 38 के अनुसार राज्य का प्रयास होगा कि वह लोगों के कल्याण और सामाजिक आर्थिक न्याय को सर्वथा सुनिश्चित करायेगा।
- डॉ0 अम्बेडकर ने मौलिक अधिकारों एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अतिरिक्त संविधान में अनेक ऐसे प्रावधान किये हैं जो समाज के निम्न वर्गों एवं अनुसूचित जातियों, जनजातियों, आंग्ल-भारतीय तथा सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोगों के लिए विशेष रूप से उपबन्धित किये गये हैं।
- अनुच्छेद 330 के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए लोकसभा में तथा अनुच्छेद 332 के अन्तर्गत इन वर्गों के लिए राज्य विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है।
- इसी प्रकार अनुच्छेद 331 द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय को लोकसभा में समुचित प्रतिनिधित्व न मिलने की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा दो सदस्यों का नाम निर्देशित करने का अधिकार है।
- अनुच्छेद 333 में ऐसी ही स्थिति में राज्यपाल द्वारा राज्य विधानसभाओं में नाम निर्देशित करने का अधिकार है।
- अनुच्छेद 335 उपबन्धित करता है कि सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और जनजातियों के दावों का प्रशासन की दक्षता बनाये रखने की संगति के अनुसार ध्यान रखा

Corresponding Author:**राजन राम**

शोधार्थी एवं सहायक प्राध्यापक,

राजनीति विज्ञान, चास

महाविद्यालय, चास बोकारो,

झारखंड, भारत।

जायेगा।

- अनुच्छेद 336 के अन्तर्गत कुछ सेवाओं में विशेषकर संघ की रेल, सीमा-शुल्क, डाक व तार सम्बन्धी सेवाओं में पदों के लिए आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों की नियुक्तियाँ उसी आधार पर की जाएंगी जिस आधार पर 15 अगस्त 1947 से ठीक पहले की जाती थी।
- अनुच्छेद 338 अनुसूचित जातियों तथा अनुच्छेद 338 'क' अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग की व्यवस्था का प्रावधान करता है। इस आयोग का कार्य अनुसूचित जातियों व जनजातियों के हितों की रक्षा हेतु राष्ट्रपति को सुझाव देना है।
- अनुच्छेद 339 अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जातियों के कल्याण के बारे में राष्ट्रपति को आयोग की नियुक्ति करने का अधिकार देता है।
- इसी प्रकार अनुच्छेद 340 पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए राष्ट्रपति को आयोग की नियुक्ति का अधिकार देता है।

डॉ० अम्बेडकर और संविधान निर्माता संविधान के माध्यम से भारत में समतावादी समाज की स्थापना करना चाहते थे। जहाँ अधिकारों की गारन्टी कुछ को नहीं बल्कि सभी को दी गयी है। उनका दृढ़ विश्वास था कि अमीर-गरीब के बीच की खाई और असमानता के कारण अवसर की समानता अर्थहीन हो जाती है। भारतीय संविधान किसी एक व्यक्ति या वर्ग विशेष के लिए राजनीतिक और नागरिक अधिकारों की व्यवस्था नहीं करता अपितु आमजन के लिए सुनिश्चित करता है। मानवाधिकारों की दृष्टि से भारतीय संविधान का प्रलेख बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके द्वारा नागरिकों अधिकारों और सामाजिक न्याय के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया गया है और इसमें व्यक्तिवाद तथा राज्य नियंत्रण के बीच संवाद कायम करने का प्रयास किया गया है।

संदर्भ स्रोत

1. अप्पादोराई, ए., 2002, : पॉलिटिकल थाट इन इण्डिया, (400 बी.सी. -1980) नई दिल्ली, खमा पब्लिशर्स।
2. कीर, धनन्जय, 1954 : डॉ० अम्बेडकर, लाइफ एण्ड मिशन, बम्बई, पापुलर प्रकाशन।
3. चक्रवर्ती, विद्युत तथा राजेन्द्र कुमार पाण्डे, 2008 : इण्डियन गवर्नमेण्ट एण्ड पॉलिटिक्स, नई दिल्ली सेज पब्लिकेशन।
4. बी.आर. अम्बेडकर : संविधान निर्मात्री सभा वाद-विवाद वाल्यूम 12 पेज 989
5. बाबा साहेब अम्बेडकर: राइटिंग्स एण्ड स्पीचेज आफ, खण्ड-5 पृष्ठ 169
6. बसु, दुर्गा दास भारत का संविधान एक परिचय वाधवा एण्ड कम्पनी नागपुर सातवां संस्करण 1999